भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
01.04.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 6158 का उत्तर

जर्जर आवासों का पुनर्विकास

6158. श्री रामभुआल निषाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मुंबई के खार (पूर्व) स्थित जयप्रकाश रोड, प्लॉट नंबर 419 की पश्चिमी रेलवे की भूमि पर लगभग 865 झुग्गी-झोपड़ी निवासी परिवार पिछले 70-80 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास महाराष्ट्र झुग्गी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के तहत पुनर्विकास के लिए वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं और वहां रेलवे कर्मचारियों के 12 जर्जर आवास भी स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का रेलवे पर बिना किसी वित्तीय बोझ के इन आवासों और झुग्गी इकाइयों के पुनर्विकास के लिए एसआरए योजना के तहत किसी प्रतिष्ठित प्रमोटर के साथ संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे संयुक्त विकास समझौते के नियमों और शर्तों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इन जर्जर आवासों का पुनर्विकास किस प्रकार करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): मुंबई में पश्चिम रेलवे की खार रेलवे कॉलोनी के निकट खार (पूर्व) क्षेत्र में एक झुग्गी-झोपड़ी है। अनधिकृत निवासियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन राज्य का विषय है और नीतियों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। इस कॉलोनी में रेलवे क्वार्टरों की

स्थिति को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। कॉलोनी के पुनर्विकास का कार्य रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपा गया है। कॉलोनी की भूमि के एक हिस्से का उपयोग बहुमंजिला क्वार्टरों के निर्माण के लिए किया जाएगा और शेष भूमि का उपयोग वाणिज्यिक विकास के लिए किया जाएगा ताकि गैर-किराया राजस्व सृजित हो ।
